न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 250/2025 (GCMS : 2025/ 401)

1. **हर्षपिन्द्र** पुत्र श्री परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **चरणजीत कौर** पत्नी मेजर सिंह पुत्री टहल सिंह निवासी फकरसर तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब, पंजाब
2. **राजेन्द्र कौर** पत्नी बलजीत सिंह पुत्री टहल सिंह जाति जटसिख निवासी फकरसर तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब, पंजाब
3. **सर्वजीत कौर** पत्नी हरविन्द्र सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी कीकर चक, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. **परमजीत सिंह** पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   4/1 अमनदीप सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   4/2 विनीतपाल कौर पुत्री परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
5. **आर.ए.एस. रवि कुमार** एस.डी.एम. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा, अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक वाद धारा 188, 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया कि चक 9 केआरडब्ल्यू तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 37/37 मुरब्बा नम्बर 19, मुरब्बा नम्बर 34 व मुरब्बा नम्बर 57 में 12.586 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वादी व परिवादी दोनो पिता पुत्र है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त जमीन टहल सिंह को अपने पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुई थी। टहल सिंह की मृत्यु दिनांक 01.02.2020 को हुई थी। उक्त जमीन प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। ये भूमि टहल सिंह की स्वःअर्जित भूमि है तथा टहल सिंह का आज भी जमाबंदी में [illegible] है। अप्रार्थी द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में कोई चुनौति नहीं दी। वसीयत के आधार पर प्रार्थी इस जमीन का हकदार है, मगर इन तथ्यों को छुपाकर दिनांक 19.05.2025 को अप्रार्थीगण ने गलत तरीके से इन्तकाल करवा लिया। इसलिए वसीयत के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा जो इंतकाल किया गया है, वह शून्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि दावे के साथ प्रार्थी ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक रूप से सुनकर प्रार्थी के हक में स्थगन आदेश जारी किया। अप्रार्थीगण दावे में पेश हुए, परन्तु उसका अभी तक कोई जवाब पेश नहीं किया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर राजनीतिक दबाव डालकर बिना जवाब दिये ही पीठासीन अधिकारी फैसला करने पर उतारू हो रहे है, जबकि विधि अनुसार जवाब दावा आने के बाद ही बहस सुनने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है। मगर पीठासीन अधिकारी बिना किसी कानूनी बिन्दुओं के आधार पर वादी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकार ने कहा कि मैं आज ही बहस सुनुंगा तथा तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 06.10.2025 को कहा कि बहस सूनूंगा, क्योंकि मुझ पर राजनीतिक दबाव है व इसमें कोई तारीख पेशी नहीं दूंगा। इस रैवेये से साफ पता चल रहा है कि पीठासीन अधिकारी राजनीतिक दबाव से बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये आदेश देना चाहते है। जिससे प्रार्थी के साथ न्याय नहीं हो पायेगा। इसलिए प्रार्थी ने उसके को प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में 2025 R.J.R.(Rev.) Page No. 148 to 150 and 2025 R.J.R.(Rev.) – Page No. 273 to 276 न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 53 एवं 88 का प्रकरण पेश कर, स्वयं ने स्थगन प्राप्त किया था और उसी पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने जानबूझ कर न्यायालय को गुमराह करने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय की अधूरी फर्दअहकाम पेश की है, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय की फर्दअहकाम के अनुसार दिनांक 06.10.2025 को पत्रावली पेशी में ही नही थी और प्रार्थी के अधिवक्ता दिनांक 06[illegible] को पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगा रहे हे।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2025 को उक्त विवादित भूमि को रहन बैय न करने एवं राजस्व रि[illegible] की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। सिविल प्रक्रिया संहित 1908 की धारा 3ए के अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी उक्त स्थगन आदेश को रद्द कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी **संख्या 2 व 3** के विद्वान अधिवक्ता श्री **बलराम स्वामी** ने अपनी **बहस में कथन किया कि** प्रार्थी की हम रिश्ते में बुआ है और प्रार्थी हमारे हिस्से की जमीन को हड़पना चाहता है, इसलिए उसने यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में बिना तामील, बिना जवाब दावा दिये पीठासीन अधिकारी पर गलत आरोप लगाकर पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि टहल सिंह की मृत्यु होने के बाद, प्रार्थी ने फर्जी वसीयत बनाई है, जिसकी आड़ में उसने अधीनस्थ न्यायलाय में गलत आधार बताकर दावा पेश किया और हमारे हिस्से की भूमि पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया, ताकि किसी तरह का कोई हिस्सा न देना पड़े।

उनका आगे यह भी कथन है कि यदि वास्तव में प्रार्थी के पास वसीयत होती तो दिनांक 19.05.2025 को ग्राम पंचायत में विरासतन इन्तकाल हम अप्रार्थीगण व प्रार्थी के पिता परमजीत सिंह पुत्र टहल सिंह के नाम चढाया गया था, उस समय वसीयत पेश करता, लेकिन प्रार्थी के उस समय कोई वसीयत नहीं थी। प्रार्थी ने बाद में फर्जी हस्ताक्षर करके वसीयत बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अभी अधीनस्थ न्यायालय में न तो स्वयं हाजिर हुए और न ही कोई वकील मुकर्रर किया है। उससे पूर्व ही प्रार्थी ने श्रीमान् के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। इसलिए प्रार्थी का यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों से दाव में स्थगन आदेश हासिल कर लिया और प्रार्थी चाहता है कि उक्त स्थगन आदेश लम्बे समय तक चलता रहे ताकि अप्रार्थीगण पर दबाव बनाया जा सके और किसी भी तरह से उनका हिस्सा न मिल सके। अप्रार्थीगण को उनके हिस्से से वंचित करने के लिए प्रार्थी ने स्थगन आदेश हासिल कर, गलत आधारों पर यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया। इसलिए प्रार्थी का यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 04.11.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए प्रकरण संख्या 396 / 2025 एवं धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 16/2025 अनवानी हर्षपिन्द्र सिंह बनाम चरणजीत कौर आदि का अन्यत्र मुंतकिल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायलाय को धारा 88, 53, 188 एवं धारा 212 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर चुके है, इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। राजनैतिक दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार हैः

> **Transfer of case** : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें त[illegible] केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए** [illegible] हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पा[illegible] निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद त[illegible] तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर